FORM NO. III

Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बनेड़ा

याकूब खां बनाम मांगु बागरिया

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 18/13 सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-2-17	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे में पधारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अत: पत्रावली साबिक आदेश में दिनांक 16-3-17 को पेश हो। आज्ञा से रीडर सब डिविजन ऑफिसर, बनेडा	
16-3-17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली आदेश दिनांक 21.12.16 अनुसार दिनांक 30/5/17 को पेश हो।	
15/5/17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम सरदारनगर में पेश हुई। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता कैम्प में मौजूद। पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया गया। वाद/प्रार्थना पत्र में संलग्न प्रथम तामील रिपोर्ट में विपक्षी क्र. 1 का वाद प्रस्तुतीकरण से तीन माह पूर्व ही मौत होना वर्णित है। यानि की प्रार्थी द्वारा मृतक पक्षकार के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया है। इसके	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की में जारी हुए
	अतिरिक्त मूल वाद पत्र के साथ संलग्न राजस्व पत्रावली सेवत 2069-72 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा गोकल पिता ठेकार कालाबदिया को वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जो कि एक आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में विधिवत पत्रावली अनुरूप पक्षकार नहीं बनाये जाने व मृतक पक्षकार के विरुद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने के कारण वाद पत्र न्यायिक दृष्टिकोण से चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT act बाबत स्थगन के आदेशिका दिनांक 24/04/13 के जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त करते हुए प्रकरण मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल मुनासिब हो	